न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी:- मांगीलाल, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 233/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
ग्राम पंचायत रूपाणा जैताणा पंचायत समिति लोहावट जरीये ग्राम विकास अधिकारी		1. अणदाराम पुत्र बलूराम 2. पेमाराम पुत्र बलूराम 3. रामुराम पुत्र नवलाराम जाति जाट निवासी देराजनगर तहसील लोहावट जिला फलोदी। 4. श्यामसुन्दर पुत्र जगदीशराम 5. राजुराम पुत्र जगदीशराम जाति सुथार निवासी देराजनगर तहसील लोहावट जिला फलोदी। 6. तहसीलदार लोहावट

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

1. श्री अशोक कुमार कड़वासरा अधिवक्ता वादिनी की तरफ से
2. प्रतिवादीगण की तरफ से कोई हाजिर नहीं

निर्णय

दिनांक : 29.05.2024

वादि ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि तहसील लोहावट के पटवार मण्डल लोहावट जाटावास के राजस्व ग्राम देराजनगर में वादी एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त सामलाती खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 09 रकबा 17.6038 हैक्टेयर भूमि आयी हुई है वादी ने वादग्रस्त भूमि के बन्टवाड़ा का वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादि की बहस सुनकर तहसील लोहावट के पटवार

सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलोदी

Scanned with CamScanner

मण्डल लोहावट जाटावास के राजस्व ग्राम देवराजनगर के खसरा नम्बर 09 रकबा 17.6038 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.06.2023 को जारी की गई।

तहसीलदार लोहावट द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादि की बहस सुनी गई अधिवक्ता वादि ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में वादीनी को कोई उजर ऐतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादि की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री तैयार कर तहसीलदार लोहावट द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादि द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार लोहावट द्वारा तहसील लोहावट के पटवार मण्डल लोहावट जाटावास के राजस्व ग्राम देवराजनगर के खसरा नम्बर 09 रकबा 17.6038 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/ हैक्टयर	किस्म
1	ग्राम पंचायत रूपाणा जैताणा	देवराजनगर	183/9	0.7907	बी-2
2	अणदाराम पुत्र बलूराम जाति जाट साकिन देह	देवराजनगर	183/9	3.9530	बी-2

Scanned with CamScanner

	खातेदार				
3	पेमाराम पुत्र बलूराम जाति जाट साकिन देह खातेदार	देराजनगर	183/9	3.9530	बी-2
4.	राजुराम पुत्र जगदीशराम जाति सुथार साकिन देह खातेदार	देराजनगर	183/9	2.8989	बी-2
5	रामुराम पुत्र नवलाराम जाति जाट साकिन देह खातेदार	देराजनगर	183/9	2.8989	बी-2
6	श्यामसुन्दर पुत्र जगदीशराम जाति सुथार साकिन देह खातेदार	देराजनगर	183/9	2.8989	बी-2

तहसीलदार लोहावट को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादिनी एवं प्रतिवादीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मांगीलाल (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर, लोहावट
जिला फलोदी

सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलोदी